को ध्यान में रख कर किया जाता है। कोषागारों/उप कोषागारों के नकद कारबार को संबंधित केन्द्रों में कार्य कर रही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार(रों) से प्राप्त अनुरोधों पर संबंधित बैंकों के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है।

सरलीकृत आयकर कानून

4427. **श्री रामजी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरलीकृत नया आयकर कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अधिनियमित कर दिया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले पर भविष्य में विचार करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) आयकर कानून का सरलीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विदेशी ऋणों का भुगतान

4428. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार मूलधन तथा इस पर ब्याज सहित प्रति वर्ष चुकता किए जा रहे विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, भारत पर विदेशी ऋण की कुल कितनी धनराशि थी और इसे चुकता करने की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मूलधन की वापसी/अदायगी और विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान जिसमें रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियां शामिल हैं, क्रमश: 1990-91 में 4.46 बिलियन अमरीकी डालर और 3.67 बिलियन अमरीकी डालर, 1991-92 में 4.53 बिलियन अमरीकी डालर और 3.68 बिलियन अमरीकी डालर और, 1992-93 में 4.45 बिलियन अमरीकी डालर और 3.72 बिलियन अमरीकी डालर था। 1993-94 के दौरान मूलधन की वापसी/अदायगी की राशि और ब्याज का भुगतान 4.55 बिलियन अमरीकी डालर और 3.71 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश पर कुल बकाया विदेशी ऋण, जिसमें रक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियां भी शामिल हैं, सितम्बर, 1993 के अंत तक 90.386 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। विदेशी ऋणों की वापसी/अदायगी दाता एजेंसियों के साथ परस्पर सहमति से प्रत्येक ऋण समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथियों पर ही की जाती है।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबंध

4429. **श्री एस० आस्टिन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में विभिन्न पदों/श्रेणियों के अन्तर्गत नई भर्ती किये जाने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से रोक लगाई गयी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भर्ती पर सामान्य तौर पर कोई रोक नहीं है। तथापि, मितव्ययिता बरतने सम्बन्धी उपायों के एक भाग के रूप में मई, 1993 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि उन पदों को जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए रिक्त पड़े हुए हैं, समाप्त हुआ समझा जाएगा और यदि आवश्यकता महसूस होती है तो पदों के सृजन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें पुन: सृजित किया जा सकता है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

Regional Rural Banks in Tamil Nadu

4430. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the numbers and locations of the Regional Rural Banks functioning in Tamil Nadu;

(b) the main objectives of these banks and the extent to which these objectives have been achieved during the last two years;

(c) whether some of these banks are facing financial crisis;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the measures taken by Government to improve the performance of the above batiks?